न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

पीठासीन अधिकारी सी.आर. मीना, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 32/2019 अन्तर्गत प्रतिभूति–हित का प्रर्वतन अधिनियम 2002.

जम्बो फिनवेस्ट (इण्डिया) लिमिटेड, रजिस्टर्ड पताः– 102 कंचन अपार्टमेंट अपोजिट एल.बी.एस. कॉलेज, तिलक नगर, जयपुर, शाखा कार्यालय सीकर (राज.)।

प्रार्थी(प्रतिभूत लेनदार)

बनाम

1. नेमी चन्द सैनी पुत्र टीकूराम सैनी, (ऋणी)
   पताः– प्लॉट नं. 666, वार्ड नं. 27, किसान कॉलोनी, आद्यौगिक क्षेत्र, सीकर राजस्थान।
2. सरिता देवी पत्नी नेमी चन्द सैनी, (सहऋणी/बंधककर्ता)
   पताः– प्लॉट नं. 666, वार्ड नं. 27, किसान कॉलोनी, आद्यौगिक क्षेत्र, सीकर राजस्थान।
3. राजेन्द्र जांगिड़ पुत्र हीरा लाल जांगिड़, (जमाननती)
   पताः– वार्ड नं. 09, ग्राम दुला की ढ़ाणी, गोकुलपुरा, जिला सीकर राजस्थान।
4. राकेश कुमार सैनी पुत्र मोहन लाल सैनी, (जमानती)
   पताः–प्लॉट नं. ए–9, चूंगी नाका, पिपराली रोड़, जिला सीकर राजस्थान।

अप्रार्थीगण

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002.

निर्णय

निर्णय दिनांकः29 जुलाई, 2019

1. प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता श्री **महेश शर्मा** द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण **नेमी चन्द सैनी, सरिता देवी, राजेन्द्र जांगिड़, राकेश कुमार सैनी** को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में **सरिता देवी पत्नी नेमी चन्द सैनी की सम्पति जो खसरा नम्बर 527, वार्ड नम्बर 27, किसान कॉलोनी, देवीपुरा आद्यौगिक क्षैत्र के पीछे, सीकर राजस्थान में स्थित है, जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पति के अभिन्न अंग हैं, जिसनी माप 273.33 वर्गगज है। जिसकी चारों सीमाएं पूर्व में प्लॉट नं. 168, पश्चिम में रास्ता 20 फिट, उत्तर में सुनीता सैनी का प्लॉट नं. 169–ए, दक्षिण में रास्ता 25 फिट स्थित है,** को बंधक रखकर **40,00,000/–**रूपये (अक्षरे रूपये **चालीस लाख**) की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई

स्ट्रेट, सीकर

थी। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक **14.03.2019** को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002. की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई। अप्रार्थीगण की ओर से वकील श्री देवेन्द्र कुमार अग्रवाल ने वकालतनामा पेश किया।

3. पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया।

4. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक **14.03.2019** को धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया। जिसकी अप्रार्थीगण ऋणी की डाक वितरण (Acknowledgement) की फोटो प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है।

5. अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002. की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वितीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण **नेमी चन्द सैनी, सरिता देवी, राजेन्द्र जांगिड़, राकेश कुमार सैनी** की ओर से प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में बंधक **सरिता देवी पत्नी नेमी चन्द सैनी की सम्पति जो खसरा नम्बर 527, वार्ड नम्बर 27, किसान कॉलोनी, देवीपुरा आद्यौगिक क्षेत्र के पीछे, सीकर राजस्थान में स्थित है, जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पति के अभिन्न अंग हैं, जिसनी माप 273.33 वर्गगज है। जिसकी चारों सीमाएं पूर्व में प्लॉट नं. 168, पश्चिम में रास्ता 20 फिट, उत्तर में सुनीता सैनी का प्लॉट नं. 169–ए, दक्षिण में रास्ता 25 फिट स्थित है,** का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को पुलिस इमदाद जरिये पुलिस अधीक्षक सीकर द्वारा प्राप्त किये जाने के आदेश इस शर्त पर दिये जाते हैं कि प्रकरण में किसी न्यायालय द्वारा स्थगन ना हो। उक्त आदेश की पालाना हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व न्यायालय आदि का भुगतान नियमों में देय है, जो सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।

6. आदेश आज दिनांकः 29 **जुलाई, 2019** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सी.आर. मीना)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner